A

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 138 / 2020
शेखर शर्मा पुत्र अश्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. सलीम खाम पुत्र सतार खान, जाति न्यारिया मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 7 नया, नेहरू बाल मन्दिर के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

**अपील अ0धारा 17 बी The Rajasthan Municipalties Registration of Electirs 1974 खिलाफ आदेश दिनांक 07.07.2020 निर्वाचन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिडावा बाबत रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 18 की मतदाता सूची मे नाम जोडने के विरूद्व अपील।**

––

उपस्थित

1. मो0 खादिम, एडवोकेट– अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से
3. श्री संजय सैनी, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

## आदेश

दिनांक 26.10.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( एस0डी0ओ0 ) चिडावा के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट के अनुसार इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2020 खिलाफ कानून है। रेस्पोडेन्ट न0 2 वार्ड नम्बर 7 की मूल निवासी है एवं वार्ड नं0 17 मे निवास नही करता है। वार्ड नम्बर 17 मे जो फार्म नम्बर 3 नाम जुडवाने का पेश किया गया है उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड व राशन कार्ड भी वार्ड नं0 17/7 का है। किन्तु इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम वार्ड नं0 17 की वोटर लिस्ट में कमांक कमशः 835 पर जोड दिया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का नाम वार्ड नम्बर 18 की वोटरलिस्ट की निर्वाचन नामावली के कमांक संख्या 91 पर पहले से दर्ज है किन्तु रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने तथ्य छिपाकर निर्वाचन विभाग को धोखे मे रखकर फर्जी तरीके से दोबारा वार्ड नम्बर 17 मे नाम जुडवाया

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 2 का नाम नगरपालिका के वार्ड नं0 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम संख्या 835 से हटाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट नं0 2 वार्ड नम्बर 7 की मूल निवासी है एवं वार्ड नं0 17 में निवास नही करता है। वार्ड नम्बर 17 मे जो फार्म नम्बर 3 नाम जुडवाने का पेश किया गया है उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड व राशन कार्ड भी वार्ड नं0 17/7 का है। किन्तु इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम वार्ड नं0 17 की वोटर लिस्ट मे क्रमांक क्रमशः 835 पर जोड दिया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का नाम वार्ड नम्बर 18 की वोटरलिस्ट की निर्वाचन नामावली के क्रमांक संख्या 92 पर पहले से दर्ज है किन्तु रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने तथ्य छिपाकर निर्वाचन विभाग को धोखे मे रखकर फर्जी तरीके से दोबारा वार्ड नम्बर 17 मे नाम जुडवाया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम सं0 क्रमशः 835 से नाम हटाया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 के वकील ने वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 का मकान चिडावा मे दो जगह नही है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची मे यथावत रखा जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ( वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 ) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची मे यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 2 नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 17 मे ही निवास करता है। परन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 2 का नाम वार्ड नम्बर 18 की वोटरलिस्ट की निर्वाचन नामावली के क्रमांक संख्या 91 पर पहले से दर्ज है। एक मतदाता का नाम 2 जगह होना नियमानुसार नही है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( एस0डी0एम0 ) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित नही है। अतः अपील का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा की वार्ड नं0 17 की मतदाता सूची से हटाया जावे एवं नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 18 की मतदाता सूची मे यथाथवत रखा जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0खान )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं
26/10/2020